UPMZ010036212015

न्यायालय SPECIAL JUDGE(SC. ST. ACT), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (SRI SITA RAM), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06368

<u>विशेष सत्र परीक्षण संख्या :– 1263 सन् 2015</u>

उत्तर प्रदेश राज्य.....अभियोजन पक्ष,

बनाम

शाहरूख पुत्र बशीर मीर, निवासी ग्राम फलावदा, थाना–फलावदा, जिला मेरठ।

..... अभियुक्त,

मुकदमा अपराध सं0–659 सन् 2014,
धारा–147, 148, 307/149, 323/149,
504, 506 भा.दं.सं.
धारा–3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट,
<u>थाना–खतौली, जिला–मुजफ्फरनगर।</u>

<u>निर्णय</u>

1. पुलिस थाना–खतौली द्वारा अभियुक्त शाहरूख के विरूद्ध धारा–147, 148, 149, 307, 323, 504, 506 भा.द.सं. एवं धारा–3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट के अर्न्तगत प्रेषित आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 12.05.2015 को प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरांत, आदेश दिनांकित 07.10.2015 के अनुसार, प्रकरण सत्र परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया, जो उसी दिनांक पर सत्र न्यायालय में प्राप्त होकर, दिनांक 27.10.2015 को अंतरण के माध्यम से न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–02, मुजफ्फरनगर के न्यायालय में प्राप्त हुआ।

2. अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा मनोज कुमार पुत्र ब्रहम सिंह द्वारा थाना खतौली पर लिखित तहरीर प्रस्तुत कर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वह ग्राम जसौला थाना खतौली का रहने वाला है। बीती रात

Digitally signed by SITA RAM
Date: 2026.03.19 16:33:02 IST
Reason: Judgement
Location: District and Sessions Court

दिनांक 11.10.2014 को दोपहर के समय करीब 12.00 बजे उसका चचेरा भाई जसवंत पुत्र नरेश बुग्गी पर जंगल से चारा लेकर गांव लौट रहा था, तो जंगल की चकरोड़ कम चौड़ी होने के कारण ग्राम फलावदा जिला मेरठ निवासी शाहरूख पुत्र बशीर मीर जो अपनी पत्नी को मोटरसाईकिल पर लेकर आ रहा था। मोटरसाईकिल को नियंत्रण न कर सकने के कारण पीछे की तरफ से बुग्गी में जा घुसा, जिस कारण मोटरसाईकिल गिर गई। पास में ही मौजूद उसका बड़ा भाई गोवर्धन उसकी मदद के लिए दौड़कर शाहरूख के पास पहुंचा तथा शाहरूख की मोटरसाईकिल को खड़ा करके उसकी मदद की, लेकिन किन्हीं कारणों से शाहरू ख क्रोधित होकर गालीगलौच करते हुए एवं फिर देखने की धमकी देकर तब चला गया और दिनांक 12.10.2014 जब उसका बड़ा भाई गोवर्धन अपने खेत में गन्ने की छोल कर रहा था, तो इसी दौरान समय करीब 11.30 बजे बजे दिन उपरोक्त शाहरूख अपने अन्य 5–6 साथियों के साथ लाठी डण्डे व हॉकी से लैस होक भाई के साथ गोवर्धन के पास खेत पर पहुंचे और गालीगलौच व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए तथा यह कहते हुए कि आज तुझे दादागिरी सिखाने आये हैं और शाहरूख व इसके साथियों ने भाई गोवर्धन पर जान लेवा हमला बोलते हुए लाठी डण्डों व हॉकियों से बुरी तरह माना पीटना शुरू कर दिया, जब बचाव के लिए भाई गोवर्धन ने शोर शराब मचाते हुए भाग कर ईख के खेत में घ ुसक जान बचाने की कोशिश की। इन लोगों ने भाई गोवर्धन पर अपने पास मौजूद नाजायज असलाहों से फायर किए तो फायरों व शोर शराबे की आवाजें सुनकर वह तथा उसके गांव के निवासी मनोज पुत्र लाल सिंह व दिनेश पुत्र जगदीश दौड़कर मौके पर पहुंच गए। उन लोगों के पहुंचने पर ये लोग भाग खड़े हुए, जिन्हें उन्होंने भलीभांति देखा व पहचाना है। शाहरूख के साथ आए अन्य 5–6 अज्ञात लोगों की शक्त सूरत से भली पहचानते हैं, लेकिन फिलहाल इनका नाम पता नहीं जानते हैं। जानकारी करके बाद में बतलाया जाएगा। शाहरूख को वे लोग व उसके गांववाले सभी लोग भलीभांति जानते हैं, बदमाश किस्म के व्यक्ति हें। पहले भी कई बार जेल जा चुका है। इससे अभी भी जान का खतरा बना हुआ है।

3. वादी मुकदमा मनोज पुत्र ब्रहम सिंह द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर के आधार पर थाना खतौली पर अभियुक्त शाहरूख एवं 5–6 अज्ञात व्यक्तियों के

विरूद्ध मु0अ0सं0–659/2014 धारा–147, 148, 149, 323, 307, 504, 506 भा.दं. सं. एवं धारा–3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट के अंतर्गत चिक एफ.आई.आर. किता की गयी, जिसका खुलासा जी.डी./रोजनामचा आम रपट संख्या–36 समय 12.30 बजे दिनांक 12.10.2014 में किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना दिलीप कुमार मित्तल, क्षेत्राधिकारी खतौली द्वारा ग्रहण की गयी। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण का नक्शानजरी तैयार किया एवं गवाहान के बयान अंकित किए तथा बाद विवेचना अभियुक्त शाहरूख के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए धारा–147, 148, 149, 307, 323, 504, 506 भा.द.सं. एवं धारा–3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट के अंतर्गत विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्त शाहरूख के विरूद्ध दिनांक 06.01.2016 को आरोप धारा–147, 148, 307/149, 323/149, 504, 506 भा.द.सं. एवं धारा–3(2)5 एस. सी.एस.टी. एक्ट के अंतर्गत विरचित किये गये, जिनको अभियुक्त ने पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

5. अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित किए जाने हेतु अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–1** के रूप में परीक्षित वादी मुकदमा मनोज कुमार ने लिखित तहरीर को **<u>प्रदर्श क–1</u>** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–2** रूप में चुटैल गोवर्धन एवं **पी.डब्ल्यू–3** के रूप में मनोज परीक्षित हुए हैं। **पी.डब्ल्यू–4** के रूप में परीक्षित डॉ0 अनुज राजवंशी ने चुटैल गोवर्धन की चिकित्सीय परीक्षण आख्या को **<u>प्रदर्श क–2</u>** तथा पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या को **<u>प्रदर्श क–3</u>** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–5** के रूप में परीक्षित हैड कां0 सुभाष चन्द ने चिक एफ.आई.आर. को **<u>प्रदर्श क–4</u>**, जी.डी. मुकदमा कायमी की नष्टीकरण आख्या को **<u>प्रदर्श क–5</u>** तथा जी.डी. मुकदमा कायमी को **<u>प्रदर्श क–6</u>** के रूप में साबित किया है। विशेष लोक अभियोजक (एस.सी.एस.टी. एक्ट) की ओर से अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में आदेश–पत्र पर किए गए पृष्ठांकन के प्रकाश में अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

6. अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा–313 द.प्र.सं. अंकित किए जाने पर अभियुक्त ने घटना को गलत होना तथा गलत तहरीर दिया जाना बताते हुए पी. डब्ल्यू–1 द्वारा दिए गए बयान के संबंध में यह कथन किया है कि गलत बयानी की है व गलत प्रदर्श साबित किया है। पी.डब्ल्यू–2 द्वारा दिए गए बयान को

गलत होना कहते हुए पी.डब्ल्यू–3 द्वारा दिए गए बयान के संबंध में कथन किया है कि उसके विरूद्ध कोई बयान नहीं दिए हैं। पी.डब्ल्यू–4 व पी.डब्ल्यू–5 द्वारा दिए गए बयान को गलत होना व गलत प्रदर्श साबित किया जाना कहते हुए यह कथन कथन किया है कि गलत बयानी की है, वह वादी मुकदमा गोवर्धन को नहीं जानता है, उसे ये पता नहीं है कि यह अनुसूचित जाति से है तथा अपने विरूद्ध मुकदमा रंजिशन चलना कहते हुए सफाई साक्ष्य पेश करने से इंकार किया है तथा यह भी कथन किया है कि ग्राम जसौला से फलावदा 15 किमी0 दूर है। उसके कस्बे का चेयरमैन उससे व उसके परिवार से रंजिश रखता है, उसका बड़े अधिकारियों से मेलजोल है। कस्बे के चेयररमैन ने वादी मुकदमा गोवर्धन व पुलिस से साज कर यह झूठा मामला बनाया है। वह निर्दोष है, उसे बेवजह परेशान किया गया है।

7. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–1** के रूप में परीक्षित वादी मुकदमा मनोज कुमार पुत्र ब्रहम सिंह ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि वह मुलजिम शाहरूख निवासी फलावदा थाना फलावदा जिला मेरठ को जानता है। दिनांक 11.10.2014 को दोपहर समय करीब 12.00 बजे दिन उसका चचेरा भाई जसवंत पुत्र नरेश बुग्गी में चाय लेकर जंगल से लौट रहा था। चकरोड़ की चौड़ाई कम थी, वहीं पर मुलजिम अपनी पत्नी को मोटसाईकिल पर लेकर आ रहा था। मोटरसाईकिल अनियंत्रित होने बुग्गी के नीचे घुस गई। वहीं पर उसका भाई गोवर्धन खेत में काम कर रहा था। वह शाहरूख की मदद के लिए आ गया था और उसकी मोटरसाईकिल गिरी हुई को खड़ी कर दी, तभी मुलजिम शाहरूख गुस्से में होकर उसके भाई गोवर्धन को गालीगलौच करते हुए आयन्दा जान से मारने की धमकी देता हुआ चला गया। फिर अगले दिन दिनांक 12.10.2014 को सुबह 14.30 बजे दिन उसका भाई गोवर्धन खेत पर गन्ने छील रहा था, तभी मुलजिम शाहरूख अपने पांच–छः अज्ञात साथियों के साथ मय लाठी डण्डे व हॉकी के साथ गोवर्धन के पास खेत पर पहुंचे, वहां पहुंचकर उसके भाई गोवर्धन को जातिसूचक शब्द चमोटे व गिठठल कहते हुए कहा कि आज उसे दादागिरी करने का मजा चखाते हैं, कहते हुए उसके भाई गोवर्धन को अपने–अपने हाथों में लिए हथियारों से जान से मारने की नीयत से मारना पीटना शुरू कर दिया। गोवर्धन ने अपनी जान बचाने के लिए शोर मचाया और भागकर ईख के खेत

में घुस गया। शोर सुनकर वह, दिनेश, मनोज पुत्र लालसिंह व दिनेश पुत्र जगवीर मौके पर पहुंच गए। उनके मौके पर पहुंचने से पहले ही मुलजिमान ने अपने नाजायज असलाहों से गोवर्धन पर जान से मारने की नीयत से फायर किया था। उन्हें देखकर मुलजिमान वहां से भाग गए। मुलजिम बढ़िया किस्म का है, शाहरूख बदमाश किस्म का है। इस घटना की रिपोर्ट उसने मनोज पुत्र लाल सिंह से लिखाकर उस पर अपने हस्ताक्षर करके थाना खतौली पर दी थी। गवाह ने पत्रावली पर में शामिल का0सं0–5क को देखकर, पढ़कर व सुनकर उस पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करना तथा इस तहरीर को स्वयं द्वारा बोल–बोल कर लिखवाकर पढ़कर, सुनकर इस पर अपने हस्ताक्षर किया जाना कहते हुए उक्त तहरीर को **<u>प्रदर्श क–1</u>** के रूप में साबित किया है।

8. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–2** के रूप में परीक्षित गोवर्धन कुमार ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि जो उसके साथ घटना हुई थी, वो आज से पांच साल पहले की है। घटना से एक दिन पहले करीब 12 बजे उसका चचेरा भाई जसवंत पुत्र नरेश चारा लेकर गांव में आ रहा था। उनके खेत के पास मुलजिम शाहरूख अपनी मोटसाईकिल पर अपनी घरवाली को ले जा रहा था। जैसे ही ये उनके खेत के पास आया, तो वहां रास्ता कम था। इसकी मोटरसाईकिल कन्ट्रोल नहीं हो पायी और उसके चचेरे भाई की बुग्गी से टकरा गयी और वह गिर गयी थी। इनमें आपस में झगड़ा होने लगा। उसने शोर पर मौके पर पहुंचकर बाइक को उठाया। गुस्से में आकर शाहरूख ने उसे गाली दी और गिटठल, चमार कहा और उसे देख लेने की धमकी दी। उसके अगले दिन वह अपने खेत में गन्ना छील रहा था, करीब साढ़े ग्यारह बजे दिन शाहरूख व उसके साथ 5–6 लोग हाथों में लाठी डण्डा व तमंचा ले रहे थे। आते ही ये लोग उसकी पिटाई करने लगे। उसे गिटठल, चमार कहते हुए गाली देने लगे कि आज तो वे उसे मजा चखायेंगे। उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया, उसे फायर नहीं लगा। शाहरूख के अलावा अन्य मुलजिमान उसकी पहचान में नहीं आए थे। गवाह ने शाहरूख को देखकर कहा कि वह इसे पहचानता है, ये फलावदा जिला मेरठ का रहने वाला है। इस घटना को मनोज पुत्र लाल सिंह, उसके भाई मनोज ने देखा था। दिनेश पुत्र जगदीश मौके पर आ गया था। इन लोगों ने उसके साथ मारपीट करते हुए देखा था। उसने ईख के खेत में घुसकर

जान बचायी। उसका इलाज पहले खतौली सरकारी अस्पताल में हुआ, फिर मुजफ्फरनगर सरकारी अस्पताल में हुआ। फिर उसका इलाज मेरठ में हुआ।

9. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–3** के रूप में परीक्षित मनोज पुत्र लाल सिंह ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.10.2019 को दोपहर के साढ़े 11 बजे वह अपने खेत पर नहीं गया था। उसने उस दिन गोवर्धन के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी थी और न उसने उस दिन शाहरूख निवासी फलावदा को हाथ में डण्डा लेकर आगे 5–6 साथियों के साथ गोवर्धन के साथ मारपीट करते नहीं देखा था। उसने कोई गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी थी और न ही उसने शाहरूख को गालीगलौच व जान से मारने की धमकी देते व जातिसूचक शब्द कहते देखा। उसने ऐसी कोई घटना नहीं देखी।

10. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–4** के रूप में परीक्षित डॉ0 अनुज राजवंशी ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.10.2014 को वह सी.एच. सी. खतौली पर बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात था, उस दिन 1.10 पी.एम. पर गोरधन पुत्र ब्रहम सिंह, उम्र करीब 28 वर्ष निवासी जसौला थाना खतौली को कां0–1622 मनोज कुमार द्वारा लाए जाने पर उसकी चोटों का डॉक्टरी मुआयना किया तथा चुटैल उपरोक्त के शरीर पर निम्न चोटें पायी गयीं –

चोट नं0–1 फटा हुआ घाव 1.5 सेमी0 X 0.3 सेमी0 X स्कल्पडीप, सिर के बायीं ओर, बायें कान से 0.5 सेमी0 ऊपर, जिस पर एक्स–रे का एडवाइज किया गया। पेशेंट होश में था।

चोट नं0–2 लाल नीलगू निशान 10 सेमी0 X 1.5 सेमी0, बायें कान के बाहर व पीछे की तरफ, बायें कंधे से 6 सेमी0 नीचे।

चोट नं0–3 लाल नीलगू निशान 20 सेमी0 X 1.5 सेमी0, कमर के ऊपरी हिस्से में आधा तिरछा।

चोट नं0–4 लाल नीलगू निशान 9 सेमी0 X 3 सेमी0 अग्रिम भुजा के पीछे ओर अगले हिस्से में, बायें कोहिनी से 10 सेमी0 नीचे, इंजरी को ऑब्जर्वेशन में रखा गया।

चोट नं0–5 सूजन के साथ नीलगू निशान 6 सेमी0 X 4 सेमी0, बायीं कोहनी के पीछे, इंजरी को आब्जर्वेशन में रखा गया।

चोट नं0–6 मरीज ने बायें पैर के टखने में दर्द की शिकायत की, परंतु कोई

फाईडिंग नहीं थी।

ओपीनियन –इंजरी नं0–2, 3, 4 व 5 कुन्दाला (Hard & Blunt object) से थी। चोट नं0–1, 4 व 5 आब्जर्वेशन में रखी गयी, बाकी सभी इंजरी साधारण प्रकृति की थी। सभी चोटें ताजा थीं। गवाह ने स्वयं द्वारा तैयार की गयी पत्रावली पर का0सं0–7 के रूप में संलग्न मेडिकल रिपोर्ट पर चुटैल का निशानी अंगूठा व पहचान चिन्ह अंकित होना व अपने हस्तलेख व दस्तखतीय होना कहते हुए मेडिकल रिपोर्ट को **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है। चुटैल की चोटें दिनांक 12.10.2014 को 11.30 ए.एम. पर आना संभव हैं। गवाह ने पत्रावली पर का0सं0–7/5 के रूप में वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉ0 विनीत कौशिक की रिपोर्ट के आधार पर स्वयं द्वारा चुटैल गोवर्धन की पूरक रिपोर्ट तैया किया जाना तथा इसे अपने हस्तलेख व दस्तख्तीय होना कहते हुए उक्त पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या को **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया है।

11. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–5** के रूप में परीक्षित हैड कां0–401 सुभाषचन्द ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है किदिनांक 12.10.2014 को वह थाना खतौली पर सी.सी. के पद पर तैनात था, उस दिन अभियोगी मनोज पुत्र ब्रहम सिंह निवासी जसौला की तहरीर के आधार पर थाने पर मु0अ0सं0–659/2014 धारा 147, 148, 149, 323, 307, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट में किता की गयी चिक एफ.आई.आर. 352/2014 बनाम शाहरूख पुत्र बशीर को पत्रावली पर का0सं0–4 के रूप में अपने हस्तलेख व दस्तखतीय होना कहते हुए इसे **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया है। उक्त का खुलासा रोजनामचा आम पिोर्ट सं0–36 समय 12.30 बजे दिनांक 12.10.2014 पर किया गया। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न अपने हस्तलेख व दस्तखतीय मूल जी.डी. समयावधि समाप्त हो जाने के कारण नष्ट कर दिया गया तथा इस संबंध में पुलिस कार्यालय के रिकार्ड कीपर द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट अपने सामने होना तथा इसे दाखिल करना कहते हुए जी.डी. नष्टीकरण रिपोर्ट को **प्रदर्श क–5** के रूप में साबित किया है। गवाह ने पत्रावली पर का0सं0–10/5 के रूप में संलग्न मूल जी.डी. की कार्बनकॉपी को एक ही प्रक्रिया में तैयार किया जाना तथा इसे प्रमाणित कर हस्ताक्षर किया जाना कहते हुए उक्त जी.डी. की कार्बनकॉपी को **प्रदर्श क–6** के रूप में साबित किया है। उक्त साक्षी को पुनः साक्ष्य हेतु परीक्षित कराए जाने

पर उक्त साक्षी ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.10.2014 को वह थाना खतौली पर सी.सी. के पद पर तैनात था। उसकी थाने पर तैनाती के दौरान क्षेत्राधिकारी दिलीप कुमार मित्तल क्षेत्राधिकारी खतौली के पद पर तैनात रहे हैं। उसने उन्हें लिखते पढ़ते देखा है, उनका हस्ताक्षर पहचानता है। गवाह ने पत्रावली का0सं0–6 के रूप में संलग्न नक्शानजरी तथा का0सं0–3 के रूप में संलग्न आरोप–पत्र को दिलीप कुमार मित्तल के हस्तलेख में व हस्ताक्षरित होना कहते हुए उक्त दोनों प्रपत्रों को क्रमशः **<u>प्रदर्श क–7</u>** एवं **<u>प्रदर्श क–8</u>** के रूप में साबित किया है।

12. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक (एस. सी.एस.टी. एक्ट) के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर विद्य मान सम्पूर्ण साक्ष्यों का गहनतापूर्वक परिशीलन किया।

13. विशेष लोक अभियोजक (एस.सी.एस.टी. एक्ट) द्वारा बहस के दौरान मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि अभियुक्त शाहरूख ने 5–6 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा मनोज कुमार के भाई गोवर्धन पर जान से मारने की नीयत से उसके साथ हॉकी व लाठी डण्डा से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई, गालीगलौच की व जान से मारने की धमकी दी तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। अभियोजन की ओर से पेश साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना मामला साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को दण्डित किया जाए।

14. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन के तर्कों का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से यह कहा गया कि अभियुक्त को मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एन्टीटाईम दर्ज करायी गयी है। पी.डब्ल्यू–1 वादी मुकदमा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। पी.डब्ल्यू–3 ने कथित घटना देखने से इंकार किया है। वादी मुकदमा व चुटैल तथा अभियुक्त अलग–अलग जिले के रहने वाले हैं। पी.डब्ल्यू–1 व पी.डब्ल्यू–2 हितबद्ध साक्षी हैं, जिनके बयानों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्ष्य से नहीं हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं वादी मुकदमा ने घटना गन्ने के खेत की होनी बतायी है, जबकि नक्शानजरी में खेत खाली दर्शाया गया है, इसलिए कथित घटना का घटनास्थल साबित नहीं है। मामले के चुटैल ने जिरह में अभियुक्तगण की संलिप्तता होने से इंकार किया है। अभियोजन की ओर

से पेश साक्षियों के बयानों में सारवान विरोधाभास व विसंगतियां विद्यमान हैं एवं ठोस, विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन की ओर से पेश साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

15. आपराधिक विधि का यह मौलिक सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होगा।

16. **नरेन्द्र सिंह केशूभाईजला बनाम गुजरात राज्य 2023 एस.सी.सी. (एस.सी.) व स्टेट ऑफ महाराष्ट्रबनाम हेमंत कवाडू चौरीवाल आदि (एस.सी.) 2016 (1) जे.सी.आर.सी. 69** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि दाण्डिक परीक्षण में यह अभियोजन का कर्त्तव्य है कि वह अपनी सभी बातें संदेह सीमा से बाहर सिद्ध करे। **शंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2023 एस.सी.सी. एवं दीवान सिंह प्रति स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड 2016 (1) जे.सी.आर.सी. 974** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि संदेह चाहे कितना भी गंभीर हो, किन्तु फिर भी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है।

17. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एन्टीटाईम दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु साबित नहीं है जो कि संदेहास्पद है।

18. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 12.10.2014 को समय 12.00 बजे की दर्शायी गयी है तथा घटनास्थल से थाने की दूरी 09 किमी0 है, जबकि तहरीर के आधार पर दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक 11.30 ए.एम. अंकित है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन समय 12.30 बजे दर्ज करायी गयी है। पी.डब्ल्यू–1 वादी मुकदमा ने अपनी मुख्यपरीक्षा में घ टना 12.00 बजे घटित होना कहा गया है। पी.डब्ल्यू–1 ने जिरह के पेज 5 पर यह भी कथन किया है कि घटना होने के बाद वह चुटैल गोवर्धन को लेकर गांव के चौपाल पर आया था। घटनास्थल से चौपाल सवा किमी0 दूर है। अपने घर से झगड़े के बारे में सूचना भिजवाई थी। चौपाल से थाना 09 किमी0 दूर है। थाने पहुंचकर वे दरोगा से मिले, उन्हें घटना बतायी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लिखकर दे दो। गवाह ने जिरह में यह भी कथन किया है कि थाने वे 12

बजे पहुंच गए थे और 12 बजे रिपोर्ट मनोज से लिखवायी थी। रिपोर्ट लिखने में 15–20 मिनट लगे। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना 12 बजे की दर्शायी गयी है तथा पी.डब्ल्यू–1 द्वारा मुख्यपरीक्षा में भी कथित घटना 12 बजे की होना कहा गया है, परंतु उक्त साक्षी ने जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उनके द्वारा थाने पर 12 बजे पहुंचकर मनोज से रिपोर्ट लिखवाने में 15–20 मिनट लगे, जबकि कथित घटनास्थल से थाने की दूरी 09 किमी0 है। अतः 12 बजे दर्शायी गयी कथित घटना की रिपोर्ट कथित घटनास्थल से 09 किमी0 दूरी पर स्थित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 12 बजे इतने कम समय में दर्ज कराए जाने के संबंध में कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु संदिग्ध होना पायी जाती है, जो एन्टीटाईम है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट को संदिग्ध बनाती है। ***मौ0 मुस्लिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखण्ड) 2023 (3) सी.सी.एस.सी. 1355(एस.सी.)*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि एफ. आई.आर. के मामले में समय पूर्व होने के कारण ऐसे मामले में एफ.आई.आर. अपनी साक्ष्यिक मूल्य खो देती है। इस प्रकार अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये उक्त तर्क के बल पाया जाता है।

19. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अगला तर्क दिया गया कि कथित घटना का घटनास्थल साबित नहीं है। विवेचक द्वारा दिनांक12.10.2014 को घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल ने न तो खून आलूदा मिट्टी व सादा मिट्टी ली गयी और न ही मौके से कोई छर्रा, टिकली, खोखा घटनास्थल से बरामद हुआ है एवं साक्षियों द्वारा कथित घटना के घटनास्थल के संदर्भ में विरोधाभासी बयान दिये हैं कथित चुटैल के खून आलूदा कपड़े भी नहीं लिए गए।

20. पी.डब्ल्यू–1 द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि उसने दरोगा का मौका मायना कराया था। उसके व गवाहान द्वारा घटना देखने का स्थल दरोगा को बताया था, अगर उन्होंने वो स्थल नहीं दिखाया तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। गवाह ने जिरह में यह भी कथन किया है कि उसने मौके पर खोखा कारतूस गिरा हुआ देखा था, अगर दरोगा ने खोखा कारतूस नक्शे में नहीं दिखाए तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। मगर वो खोखा कारतूस दरोगा ने कब्जे में नहीं लिए थे। अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित वादी मुकदमा ने जिरह में कथन किया है कि गोवर्धन के खून निकला था, वो खून

जमीन पर गिरा था। दरोगा जी ने वो खून कब्जे में नहीं लिया। खून गिरने का स्थान उन्हें दिखाया था। अगर नक्शे में खून गिरने का स्थान उन्होंने नहीं लिखा तो वह कोई कारण नहीं बता सकता। पी.डब्ल्यू–2 ने जिरह में यह कहा है कि जब गवाह आए, उसके शरीर से खून निकल रहा था। उसे नहीं पता कि खून जमीन पर गिरा था या नहीं। कपड़े पर लगा था, वो कपड़े दरोगा को नहीं दिखाए, क्योंकि उन्होंने मांगे नहीं थे। इस प्रकार एक ओर तो पी.डब्ल्यू–1 वादी मुकदमा ने चुटैल के जमीन पर गिरे खून को दरोगा द्वारा कब्जे में नहीं लिए जाने का कथन किया है, जबकि पी.डब्ल्यू–2 स्वयं चुटैल द्वारा अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से जमीन पर खून गिरने के बारे में पता नहीं होना कहा है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा तैयार किए गए नक्शानजरी में चुटैल का खून जमीन पर पड़ा होना नहीं दर्शाया गया है और न ही वादी मुकदमा द्वारा बताए गए स्थान से सादा मिट्टी, खून आलूदा मिट्टी व खोखा कारतूस कब्जे में लिए जाने की बाबत विवेचक द्वारा तैयार की गयी कोई फर्द पत्रावली पर मौजूद है और न ही चुटैल के खून आलूदा कपड़े कब्जे में लिए जाने के संबंध में कोई फर्द पत्रावली पर उपलब्ध है। विवेचक द्वारा तैयार किए गए पत्रावली पर संलग्न नक्शानजरी में खाली खेत ब्रहम सिंह दर्शाया गया है, जबकि पी.डब्ल्यू–1 वादी मुकदमा ने अपने भाई गोवर्धन द्वारा खेत में गन्ना छीलने का कथन किया गया है। पत्रावली पत्रावली में संलग्न नक्शानजरी प्रदर्श क–7 के अनुसार खाली खेत ब्रहम सिंह के आसपास जयप्रकाश व नरेश के खेत दर्शाए गए हैं तथा 'A' स्थान से मारूति वैन व दो मोटरसाईकिलों से आकर 'X' स्थान पर चुटैल के साथ मारपीट करना दर्शाया गया है, परंतु पी.डब्ल्यू–1 वादी मुकदमा व पी.डब्ल्यू–2 चुटैल द्वारा उक्त मारूति वैन व मोटरसाईकिल के नम्बरों का उल्लेख अपने साक्ष्य में नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा घटनास्थल के आसपास के खेत मालिकों को कथित घटना की बाबत गवाह नहीं बनाया गया है और न ही खेत मालिकों के विवेचक द्वारा बयान अंतर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. दर्ज किए गए। विवेचक द्वारा तैयार किए गए नक्शानजरी में पी.डब्ल्यू–1 एवं अन्य गवाहान द्वारा कथित घटना स्थल पर जाकर घटना देखने वाला स्थान नहीं दर्शाया गया है। पी.डब्ल्यू–1 व पी.डब्ल्यू–2 की साक्ष्य में भी कथित घटना के घटनास्थल के संदर्भ परस्पर विरोधाभास विद्यमान है। इस प्रकार उपरोक्त किये गये मूल्यांकन से कथित घटना

का घटनास्थल साबित होना नहीं पाया जाता है। ***सैयद इब्राहिम बनाम ए0पी0 राज्य, (2006) 10 एस0सी0सी0 601*** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि जब घटना की जगह ही स्थापित नहीं की गयी है तो यह नहीं होगा अभियोजन संस्करण को स्वीकार करना उचित नहीं होगा। उपरोक्त मूल्यांकन से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिये गये उक्त तर्क में बल पाया जाता है।

21. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित पी.डब्ल्यू–1 वादी मुकदमा एवं पी.डब्ल्यू–2 आपस में सगे भाई होने के कारण हितबद्ध साक्षी हैं उनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है तथा घटना के स्वतंत्र साक्षी पी.डब्ल्यू–3 ने घटना का समर्थन नहीं किया गया। पी.डब्लू.–1 की कथित घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थिति साबित नहीं होती है। पी.डब्ल्यू–1 एवं पी.डब्ल्यू–2 रिश्तेदार साक्षियों के द्वारा किए गए कथनों में सारवान पर विरोधाभास व विसंगतियां विद्यमान हैं। अभियोजन की ओर से पेश साक्षियों के बयान ठोस विश्वसनीय व भरोसेमंद नही है और किसी स्वतंत्र साक्ष्य से उनकी सपुष्टि भी नहीं है अभियुक्त को मामले में झूठा फंसाया गया है तथा अपने समर्थन में माननीय न्यायालय की निम्न विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की हैः– ***हरवीर सिंह बनाम शीशपाल एवं अन्य, 2016 (4) सी0सी0एस0सी0 1792 (एस0सी0)*** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि हितबद्ध साक्षियों स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभिपुष्टि उन मामलों में अनिवार्य नियम है, जहां अभियोजन प्रकट रूप से, हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य पर प्राथमिक रूप से आधारित है।

22. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा पत्रावली के अवलोकन से पाया गया है कि पी.डब्लू.–1 व पी.डब्लू.–2 साक्षी आपस में भाई है एवं रिश्तेदार साक्षी है, रिश्तेदार/हितबद्ध साक्षी के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं का हवाला दिया जाना उचित होगाः– ***मोहम्मद जब्बार अली बनाम असम राज्य 2023 एस0सी0सी0*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया है कि जब अभियोजन की ओर से पेश सम्बन्धित/हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास और असंतियां पायी जाती है और अभियोजन स्वतंत्र साक्षियों की

परीक्षा करने में असफल रहा है तो ऐसी परिसाक्ष्य की अत्यधिक सावधानी और सतर्कता से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ***Shanker Versus State of Madhya Pradesh (2019)2 SCC (Cri.) 868*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि जहां अभियोजन के साक्षियों के बयान एक दूसरे से महत्वपूर्ण तथ्यों पर संगत नहीं हैं बल्कि सारवान विरोधाभास विद्य मान हैं तो साक्षी के बयानों पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। पी.डब्लू.–1 साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियुक्त शाहरूख द्वारा अपने पांच–छह अज्ञात साथियों के साथ घटना कारित करने का कथन किया है, परंतु यह भी कथन किया है कि उसके व अन्य लोगों के मौके पर पहुंचने से पहले ही मुलजिमान ने अपने नाजायज असलाहों से गोवर्धन पर जान से मारने की नीयत से फायर किया था। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में ही स्वयं एवं अन्य लोगों के पहुंचने से पहले ही घटना घटित होना कहा है, जबकि पी.डब्ल्यू–2 ने अपने साक्ष्य में अपने भाई मनोज व मनोज पुत्र लाल सिंह व अन्य साक्षी द्वारा घटना देखे जाने का कथन किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि चुटैल तथा अभियुक्त दोनों अलग–अलग जिले के रहने वाले हैं। इस प्रकार उपरोक्त दोनों साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास प्रकट होता है तथा पी.डब्ल्यू–1 की कथित घटना घटित होते समय घटनास्थल पर उपस्थिति होना भी साबित नहीं है। पी.डब्लू.–2 कथित चुटैल ने अपने बयानों में अपने ऊपर शाहरूख द्वारा कहीं पर उसके उपर फायर करना कहा गया, कही पर हॉकी से मारकर चोट पहुंचाना कहा गया है एवं चोटों से स्वयं के शरीर से मौके पर खून निकलना बताया है परन्तु मौके पर कोई खून पड़ा नहीं मिला है और न ही मौके पर गोली के खोखा टिकली छर्रा आदि बरामद होना पाया गया है तथा चुटैल के शरीर पर साधारण प्रकृति के चोटे आना पायी गयी है। कथित चोटों के संदर्भ में भी चुटैल के बयानों में परस्पर सारवान विरोधाभास विद्यमान है। अभियोजन की ओर से पेश घटना के स्वतंत्र साक्षी पी. डब्ल्यू–3 द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में ही अभियोजन कथानक का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है तथा अभियुक्त द्वारा चुटैल के साथ कारित कथित घटना को देखने से इंकार करते हुए इस कथन को गलत बताया है कि दिनांक 12.10. 2014 को दोपहर के 11.30 बजे वह खेत पर गया हो और उसके सामने शाहरूख निवासी फलावदा ने अपने हाथ में डण्डा लेकर गोवर्धन के साथ मारपीट व गाली

गलौच की हो तथा जान से मारने की धमकी देते हुए जातिसूचक शब्द कहे हों। शाहरूख व उसके साथियों ने गोली चलायी हो। इस प्रकार अभियोजन की ओर से स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित कराए गए साक्षी ने अभियोजन कथानक का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है। चुटैल की चिकित्सीय रिपोर्ट से उसके शरीर पर साधारण प्रकृति की चोटें पायी गयी है। इस प्रकार चुटैल की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसे कोई प्राण घातक चोट नहीं पायी गयी है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए रिश्तेदार साक्षी पी.डब्ल्यू–1 वादी मुकदमा एवं पी.डब्ल्यू–2 चुटैल ने अपने साक्ष्य में कहीं पर जान से मारने की नीयत से डण्डों व हॉकी से मारपीट करने तथा कहीं पर नाजायज असलाहों से फायर करने का कथन किया गया है। पी.डब्लू.–1 की कथित घटना के समय घ ाटना स्थल पर उपस्थिति साबित होना नहीं पायी गयी एवं स्वतंत्र साक्षी पी. डब्ल्यू–3 द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है इस प्रकार पी.डब्ल्यू–1 वादी मुकदमा मनोज कुमार एवं पी.डब्ल्यू–2 गोवर्धन कुमार आपस में सगे भाई हैं तथा हितबद्ध साक्षी हैं पी.डब्लू.–1 साक्षी के द्वारा कथित घटना को घटित होते देखना स्थापित नहीं होता है एवं पी.डब्लू. –1 व पी.डब्लू.–2 रिश्तेदार साक्षियों के बयान में सारवान, विरोधाभास व विसंगलियां विद्यमान है तथा अभियोजन की ओर से कथित घटना के स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित कराए गए पी.डब्ल्यू–3 ने अभियोजन कथानक का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है, अतः पी.डब्ल्यू–2 चुटैल के साक्ष्य की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्ष्य से होना नहीं पायी गयी है अतः कथित चुटैल के सारवान विरोधाभाषी विसंगति बयानों की किसी स्वतंत्र साक्ष्य से सम्पुष्टि के बिना उसके बयानों पर विश्वास करना असुरक्षित होगा। उपरोक्त मूल्यांकन से अभियोजन साक्षियों के बयान विश्वसनीय, भरोसेमंद, ठोस होना नहीं पाये गये है एवं कथित चुटैल के विरोधाभाषी बयान भी किसी स्वतंत्र साक्ष्य से सम्पुष्टि भी होना नहीं पायी गयी है। ***विमल कुमार मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 लॉ ट्रेंड*** के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि एक घायल गवाह की गवाही को सभी परिस्थितियों में सच नहीं माना जा सकता गवाहों के विरोधाभास और अस्वाभाविक बयान पूरी अभियोजन कहानी को बेहद संदिग्ध बनाती है। ***नोखेलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2022 लॉइव लॉ*** के

मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अवधारित किया गया है कि न्यायालय को इच्छुक गवाहों की अतिरिक्त सावधानी और सतर्कता से जांच की जानी चाहिए तथा जहां गवाहों के बयानों में विसंगतियां विद्यमान हों एवं अविश्वसनीय पाये जाये तो न्यायालय में ऐसे साक्ष्य को भरोसेमंद नहीं माना जायेगा तथा अभियोजन की कहानी सुनियोजित एवं मनगढंत मानी जायेगी। ***एस0 राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 सी0सी0एस0सी0*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि जब यह गंभीर संदेह विद्य मान है कि उपहत् साक्षी को चोटे अभियुक्त द्वारा कारित की गयी हो एवं उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाया गया हो अभियोजन की ओर से प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की परीक्षा करने में हुई असफलता के कारण अभियोजन के प्रतिकूल ही अनुमान लगाया जायेगा। अभियुक्त दोषमुक्ति पाने का अधिकार हो जायेगा। ***खेमा उर्फ खेमचन्द्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया है कि एक घालय चश्मदीद गवाह की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि को आधार बनाना सुरक्षित नहीं होगा जब ऐसे गवाह की गवाही पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं हो ऐसे साक्षी के साक्ष्य को अन्य विश्वसनीय साक्ष्य या परिस्थितिजन्य विवरणों द्वारा पुष्टि के लिए देखना होगा एवं स्वतंत्र गवाह उपलब्ध थे परन्तु अभियोजन पक्ष उनको पेश करने में भी विफल रहा ऐसे परिस्थितियों में अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है। इस प्रकार उपरोक्त किये गये मूल्यांकन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिये गये उक्त तर्क में बल पाया जाता है।

23. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध एस.सी.एस.टी. एक्ट के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। चुटैल व अभियुक्त अलग अलग जिले के रहने वाले हैं पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे तथा यह साबित नहीं है कि अभियुक्त ने चुटैल को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुये कथित घटना कारित की हो।

24. पत्रावली में संलग्न चिक एफ.आई.आर. के अवलोकन से प्रकट होता है कि चिक एफ.आई.आर. में वादी मुकदमा ने अपने भाई को अभियुक्त एवं उसके साथियों द्वारा जातिसूचक शब्द कहते हुए कथित घटना कारित करने का कथन

किया गया है, परंतु चिक एफ.आई.आर. में अभियुक्त एवं उसके साथियों द्वारा चुटैल को क्या जातिसूचक शब्द कहे जाने का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में वादी मुकदमा के भाई/चुटैल पी.डब्ल्यू–2 ने जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि गिठठल, चमार वाली बात मारपीट वाले दिन से पहले की है, मारपीट वाले दिन नहीं कहा था। उसने मनोज को को एक दिन पहले गिठठल, चमार की बात बतायी थी। जबकि पी.डब्ल्यू–1 वादी मुकदमा ने जिरह में कथन किया है कि उसने अपनी रिपोर्ट में यह बात लिखायी थी कि उसके भाई गोवर्धन को चमोटे व गिठठल जातिसूचक शब्द कहते हुए कहा कि आज वे इसे दादागिरी करने का मजा चखाते हैं, अगर उसकी रिपोर्ट में चमोटे गिठठल कहना नहीं लिखा है, तो वह इसका कारण व वजह नहीं बता सकता। इस प्रकार पी.डब्ल्यू–2 ने जातिसूचक शब्द एक दिन पहले कहने की बाबत अपने भाई पी.डब्ल्यू–1 वादी मुकदमा को बताया जाना कहा है, जबकि पी.डब्ल्यू–1 द्वारा घटना वाले दिन अभियुक्त द्वारा अपने भाई को जातिसूचक शब्द कहने का कथन किया है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा चुटैल पी.डब्ल्यू–2 द्वारा कथित घटना वाले दिन से एक दिन पहले अभियुक्त द्वारा स्वयं जातिसूचक शब्द कहे जाने तथा पी.डब्ल्यू–1 द्वारा अपने भाई/चुटैल पी.डब्ल्यू–2 को कथित घटना वाले दिन जातिसूचक शब्द कहने का कथन करने के फलस्वरूप इस बिन्दु पर उक्त दोनों साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास एवं विसंगति विद्यमान हैं। अभियोजन की ओर से यह साबित नहीं किया गया कि अभियुक्त व चुटैल एक दूसरे को आपस में कैसे जानते थे, जबकि अभियुक्त मेरठ जिले का रहने वाला है तथा चुटैल व वादी मुकदमा मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। इस संबंध में पी.डब्ल्यू–1 ने जिरह में कहा है कि फलावदा गांव उनके गांव से पांच–छह किमी0 दूर है। फलावदा कस्बा है। कई हजार की आबादी होगी। वहां चेयरमैन होता है। उसे नहीं पता शाहरूख हर कितने भाई हैं। उसने उसका मकान नहीं देखा। यह मौ0 काली पट्टी में रहता है। उसे नहीं पता इसके मकान के दायें बायें कितने मकान है। वह इस पट्टी में रहने वाले किसी मुसलमान का नाम नहीं जानता। इस प्रकार पी.डब्ल्यू–1 द्वारा दिए गए उक्त बयान से यह प्रकट होता है कि उसकी अभियुक्त से कोई पूर्व जान पहचान नहीं थी। यह तथ्य भी साबित नहीं है कि वादी व अभियुक्त के अलग अलग जिलों से होने पर वादी अभियुक्त को पहले से किस प्रकार जानता

था। अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियुक्त के मकान एवं उसके परिवार से कोई जान पहचान होने अथवा अभियुक्त के संबंध में जानकारी होने से इंकार किए जाने के फलस्वरूप अभियोजन यह तथ्य स्थापित नहीं कर सके कि वादी मुकदमा चुटैल को पहले से जानते हो, इस प्रकार यह तथ्य साबित नहीं है कि अभियुक्त ने यह जानते हुये अपराध कारित किया की चुटैल अनुसूचित जाति से है, प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अपराध के आवश्यक तत्व साबित नहीं होते हो, अतः अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में बल पाया जाता है।

25. इस प्रकार अभियोजन साक्षियों की उपरोक्त की गयी साक्ष्य के मूल्यांकन से एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वांतों के प्रकाश में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अपने मामले उचित संदेह से परे साबित/स्थापित करने में विफल रहा है। **पंकज बनाम राजस्थान राज्य 2016 (3) सी.सी.एस.सी. 1665 (एस.सी.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि जब अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों/साक्ष्य में न तो गुणवत्ता है, न ही विश्वसनीयता है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त शाहरूख के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–147, 148, 307/149, 323/149, 504, 506 भा.दं.सं. एवं धारा–3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त शाहरूख को विशेष सत्र परीक्षण संख्या–1263 सन् 2025, 'उ.प्र. राज्य बनाम शाहरूख', मुकदमा अपराध संख्या–659 सन् 2014, थाना–खतौली, जिला–मुजफ्फरनगर के प्रकरण में धारा–147, 148, 307/149, 323/149, 504, 506 भा.दं.सं. एवं धारा–3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त शाहरूख प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर है, उसके जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(ए) के अनुपालन मे अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बंधपत्र प्रतिभू निर्णय की तिथि से 06 माह की अवधि तक अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार प्रभावी रहेंगे।

दिनांक :– 19.03.2026

(सीताराम)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम–1989, मुजफ्फरनगर।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय मे दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर, सुनाया गया।

दिनांक :– 19.03.2026

(सीताराम)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम–1989, मुजफ्फरनगर।